भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1517
12 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः मृदा अपरदन का मापन

1517. श्री ए. गणेशमूर्तिः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आई.आई.टी. दिल्ली में मृदा अपरदन, वर्षा का मृदा पर प्रभाव, जमीन में जल वर्षा जल प्रवेश और मृदा का बहकर जाना जैसे घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर मापन किया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने आयोजना और शोधकार्य के लिए इस रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के भाग के रूप में क्या राष्ट्रीय मृदा संरक्षण योजना का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार मृदा संरक्षण और इसकी निरंतरता के संबंध में किसानों की मदद करेगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) एवं (ख): जी हां। आईआईटी, दिल्ली ने मृदा संरचना, मृदा संरचना कोड और मृदा भेद्यता कोड सहित मृदा कणों के गुणों जैसे गाद, रेत, मिट्टी और मृदा में कार्बनिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मृदा अपरदन पर राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्रण किया है और एक पत्रिका में एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित किया। प्रकाशित शोध रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मृदा अपरदन का मानचित्रण, भारत में मृदा अपरदन को व्यवस्थित और व्यापकता से समझने में सहायता करता है। इसके अलावा, रिपोर्ट का उपयोग मृदा अपरदन पहलुओं से संबंधित भावी अनुसंधान की योजना तैयार करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (आइआइएसडबल्यूसी) देहरादून, देश में मृदा अपरदन पर अनुसंधान करने के लिए नोडल संस्थान है। यह संस्थान मृदा और जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले फील्ड पदाधिकारी के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य से भी जुड़ा हुआ है।

(ग) से (ङ): भारत सरकार ने सतत संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन शुरू किया है। भू-संसाधन विभाग (डीओएलआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) निम्नीकृत भूमि को विकसित करने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्लयूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित कर रहा है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, लगभग 6.56 लाख जल

संचयन संरचनाओं का सृजन/पुनरूद्धार किया गया है। लगभग 14.54 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उक्त अवधि में लाभान्वित किसानों की संख्या लगभग 31.94 लाख है। इस योजना का डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में जारी रखने को सरकार ने 15 दिसंबर, 2021 को मंजूरी दे दी है। इसी तरह, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 (पहली तिमाही तक) के दौरान, लगभग 0.75 लाख जल संचयन संरचनाओं का सृजन /पुनरुद्धार किया गया है। लगभग 0.57 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उक्त अवधि में लाभान्वित किसानों की संख्या लगभग 4.30 लाख है।

****